अनुदान संख्या 63 - विधि और न्याय
GRANT No. 63 - LAW AND JUSTICE

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
स्वीकृत–	Voted–	1515,60,00	1183,62,30	-331,97,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			269,72,42
पूंजीगत:	**Capital:**			
स्वीकृत–	Voted–	20,02,00	98	-20,01,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			19,02,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2052” सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head “2052” Secretariat - General Services				
मू.	O.	9241.00	8401.22	7453.29	-947.93
पु.	R.	-839.78			
मुख्य शीर्ष “2014” न्याय प्रशासन	Major Head “2014” Administration of Justice				
मू.	O.	48268.00	17821.00	14660.44	- 3160.56
पु.	R.	-30447.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "2015" निर्वाचन	Major Head "2015" Elections					
मू.	O.	22707.00		19858.00	19380.35	- 477.65
पु.	R.	-2849.00				
मुख्य शीर्ष "2020" आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure					
मू.	O.	4825.00		4988.76	4926.38	-62.38
पु.	R.	163.76				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	10500.00		299.62	..	-299.62
पु.	R.	-10200.38				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	51500.00		70016.38	68895.78	-1120.60
पु.	R.	18516.38				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Major head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	3500.00		2000.00	2000.00	..
पु.	R.	-1500.00				

(I) ₹17883.79 लाख का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹17750.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹17883.79 lakhs remained wholly unutilized under eleven heads; of these ₹17750.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2014” -

(क) “न्यायिक आयुक्त (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र) - न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान” - ₹3500.00 लाख संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से मांग प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) “अन्य व्यय - राष्ट्रीय न्याय प्रदान और न्याय सुधार मिशन” - ₹3750.00 लाख जनशक्ति की कमी और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने की वजह से स्कीम को कार्यान्वित न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” - “न्याय प्रशासन” -

(क) “न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान” - ₹8000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और किसी भी उत्तर पूर्वी राज्य से मांग प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) “जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण” - ₹2000.00 लाख; और

(ग) “ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता” - ₹500.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण था।

(II) मुख्य शीर्ष “2052” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(A) Major Head “2014” –

(a) “Judicial Commissioner (Union Territories without Legislature) - Grants for Infrastructural facilities for Judiciary” – ₹3500.00 lakhs - due to non-receipt of demand from the Union Territory Governments.

(b) “Other Expenditure - National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms”- ₹3750.00 lakhs - due to non-implementation of the scheme owing to shortage of manpower and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) Major Head “2552” – “Administration of Justice” -

(a) “Grants for Infrastructural Facilities for Judiciary”- ₹8000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and non-receipt of demand from any of the North Eastern States.

(b) “Computerisation of District and Subordinate Courts”- ₹2000.00 lakhs; and

(c) “Assistance to State Governments for establishing and operating Gram Nyayalayas”- ₹500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of viable proposals from the State Governments.

(II) Under Major Head “2052”- savings occurred under the following heads:-

(का) "सचिवालय" -

(क) "राजभाषा स्कंध" - ₹169.11 लाख की बचत (₹830.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, भारत सरकार मुद्रणालय से कम दावे प्राप्त होने, कम चिकित्सा दावों और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "विधि कार्य विभाग"- ₹139.82 लाख की बचत (₹3399.78 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "राजीव गांधी अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना" स्कीम को कार्यान्वित न किए जाने और छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "विधायी विभाग" - ₹294.47 लाख की बचत (₹1510.96 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, चिकित्सा/छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घ) "राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण" - ₹274.65 लाख की बचत (₹484.23 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने, भारत सरकार प्रेस से और छुट्टी यात्रा रियायत चिकित्सा उपचार के लिए कम दावे होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य कार्यालय" -

(क) "एकीकृत मुकदमा एजेंसी" - ₹470.12 लाख की बचत (₹1854.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय स्थानांतरण की वजह से किराए

(A) "Secretariat"-

(a) "Official Languages Wing"- saving of ₹169.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹830.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims from Government of India Press, less medical claims and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Department of Legal Affairs"- saving of ₹139.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3399.78 lakhs) was due to non-implementation of the scheme "Rajiv Gandhi Adhivakta Protshahan Yojana" and receipt of less claims towards leave travel concession.

(c) "Legislative Department" – saving of ₹294.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1510.96 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours, less claims towards medical/leave travel concession and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(d) "National Legal Services Authority" - saving of ₹274.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹484.23 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, receipt of less claims from Government of India Press and towards leave travel concession/medical treatment.

(B) "Other Offices" -

(a) "Unified Litigation Agency"- saving of ₹470.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1854.00 lakhs) was due to

के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने, छुट्टी यात्रा रियायत/ परामर्श शुल्क के कम दावे प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

requirement of less funds towards rent owing to shifting of office, receipt of less claims towards leave travel concession/counsels fee and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "राष्ट्रीय न्याय प्रदान और विधि सुधार मिशन" - ₹478.58 लाख की बचत (₹599.78 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने, परामर्श शुल्क के कम दावे प्राप्त होने और स्कीम का काम न करने के कारण हुई।

(b) "National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms" – saving of ₹478.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹599.78 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, receipt of less claims towards counsels fee and non-functioning of the scheme.

(III) मुख्य शीर्ष "2014" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2014" – savings occurred under the following heads:-

(का) "विधि सलाहकार और परामर्शदाता - विधायी कार्य विभाग" - ₹568.06 लाख की बचत (₹2743.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्श शुल्क के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Legal Advisers and Counsels – Department of Legal Affairs" – saving of ₹568.06 lakhs (against the sanctioned provision for ₹2743.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards counsels fee.

(खा) "अन्य व्यय" -

(B) "Other Expenditure"-

(क) "राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी"- ₹440.58 लाख की बचत (₹1074.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से कम मांग प्राप्त होने और उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "National Judicial Academy (NJA)" – saving of ₹440.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1074.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the National Judicial Academy and non-receipt of utilisation certificates.

(ख) "राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण"- ₹550.00 लाख की बचत (₹4450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "National Legal Services Authority (NALSA)" - saving of ₹550.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4450.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ग) "जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण" - ₹13968.53 लाख की बचत (₹21266.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत कम मांग होने की वजह से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(घ) "भारत में न्याय प्राप्य का सुदृढ़ीकरण" - ₹239.39 लाख की बचत (₹484.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम मांग होने और राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) "राज्य सरकारों को ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए सहायता" - ₹10490.00 लाख की बचत (₹10900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांग होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2015" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "निर्वाचन अधिकारी - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रतिपूर्ति"- ₹114.71 लाख की बचत (₹5093.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "निर्वाचन नामावली को तैयार करना और मुद्रण करना - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति"- ₹597.12 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "लोक सभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों के चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रभार - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रतिपूर्ति"- ₹2412.49 लाख की बचत (₹9150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) "Computerisation of District and Subordinate Courts"- saving of ₹13968.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21266.00 lakhs) was due to less release of funds to National Informatics Centre owing to receipt of less demand under the scheme.

(d) "Strengthening Access of Justice in India (SAJI)(EAP)"- saving of ₹239.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹484.00 lakhs) was due to less demand and non-receipt of utilisation certificates from the State Governments.

(e) "Assistance to State Governments for establishing and operating Gram Nyayalayas"- saving of ₹10490.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10900.00 lakhs) was due to less demand from the State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under Major Head "2015" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Electoral Officers - Reimbursements to State/Union Territory Governments" – saving of ₹114.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5093.00 lakhs);

(B) "Preparation and Printing of Electoral Rolls – Reimbursement to State/Union Territory Governments"- saving of ₹597.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs); and

(C) "Charges for conduct of Election for Lok Sabha and State/Union Territory Legislative Assemblies when held Simultaneously – Reimbursement to State/Union Territory Governments" – saving of ₹2412.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9150.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to non-receipt of audit certificates from the State/Union Territory Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - न्याय प्रशासन (विशेष न्यायालय) - परिवार न्यायालय"- ₹425.00 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(V) Under Major Head "3601" – Non-Plan Grants – Administration of Justice (Special Courts) - Family Courts"- saving of ₹425.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs); and

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - न्याय प्रशासन - अन्य अनुदान - न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान"- ₹1500.00 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(VI) Under Major Head "3602" – Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Administration of Justice – Other Grants – Grants for Infrastructural facilities for Judiciary"- saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less demand from the State/Union Territory Governments.

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹174.90 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत और 22 प्रतिशत थी।

(VII) Under two heads savings of ₹174.90 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 20 percent and 22 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2020" - "निदेशन और प्रशासन - आयकर अपीलीय अधिकरण" - ₹107.17 लाख का अधिक व्यय (₹4819.21 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्शदाताओं को किराए पर लिए जाने और भारत सरकार मुद्रणालय से प्राप्त लंबित दावों का समाशोधन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2020" – "Direction and Administration – Income Tax Appellate Tribunal" - excess of ₹107.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4819.21 lakhs) was due to requirement of additional funds towards hiring of consultants and clearance of pending claims received from Government of India Press.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - न्याय प्रशासन - अन्य अनुदान - न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान" - ₹17820.78 लाख का अधिक व्यय

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Administration of Justice – Other Grants – Grants for Infrastructural facilities for Judiciary"- excess of ₹17820.78 lakhs

(₹51000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(against the sanctioned provision of ₹51000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹99.20 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 84 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of ₹99.20 lakhs occurred constituting 84 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	2002.00	100.00	0.98	-99.02
पु.	R.	-1902.00			

(I) ₹2.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹2.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) "निदेशन और प्रशासन -आयकर अपीलीय अधिकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण और भवनों का निर्माण" के अंतर्गत ₹1999.02 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से संशोधित अनुमान प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under "Direction and Administration – Acquisition of Land and Construction of Buildings for Income Tax Appellate Tribunal" – saving of ₹1999.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and receipt of modified estimates from Central Public Works Department.